

M.P. JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION- 2013

Roll No./ अनुक्रमांक

--	--	--	--	--

Candidate should write his Roll No. here
परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें

C.J.-13

ARTICLE & SUMMARY WRITING

Third Paper

लेखन एवं संक्षेपण

तृतीय प्रश्न-पत्र

Total No. of Questions : 4

कुल प्रश्नों की संख्या : 4

Time Allowed - 1.30 Hours

समय - 1.30 घण्टे

No. of Printed Pages : 6

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6

Maximum Marks - 50

पूर्णांक - 50

Instructions / निर्देश :-

1. This Question Paper consists of four Questions. All questions have to be answered. kindly adhere to the word limit as it is mentioned.
इस प्रश्न-पत्र में कुल चार प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तरों में दी गई शब्द सीमा का अवश्य पालन करें।
2. In case there is any mistake either of printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।
3. Write your Roll number in the space provided on the first page of Answer-Book or supplementary sheet. Any attempt to disclose identity, in any way by any means in any other part thereof shall disqualify the candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी भी साधन द्वारा किसी अन्य भाग पर पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवारी निरहित हो जावेगी।
4. While answering a Question, do not use any word indicating a name. Where ever needed, use alphabets " A B C". Please do not mention your name, address, roll number or any specific mark or name under any circumstances. Otherwise it will be treated as disqualification and candidature shall be cancelled.
किसी भी प्रश्न के उत्तर में किसी नामवाचक शब्द का प्रयोग न करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ नाम के स्थान पर अक्षर "ए बी सी" का प्रयोग करें। स्वयं के नाम, पते, रोल नम्बर या विशिष्ट चिन्ह अथवा नाम का उल्लेख कदापि न करें। अन्यथा इसे अयोग्यता माना जायेगा तथा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।
5. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for this Question Paper. Answers given on another Answer-book shall not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, इस हेतु दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
6. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such answer-sheet shall not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/ मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

7. Answers to the Question No. 1&2 (Article) and Question No. 3 (Summarization) must be given in one language either in Hindi or in English. प्रश्न क्रमांक 1 व 2 (लेखन) एवं प्रश्न क्रमांक 3 (संक्षिप्तिकरण) तीनों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।

Q.NO. प्र०क्र०		Marks अंक
1	Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following topics (Social) : निम्नलिखित विषयों (सामाजिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए : (i) Menace of corruption. भ्रष्टाचार के खतरे (ii) Role of Women in Nation Building राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका।	15
2	Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following legal topics (Legal): निम्नलिखित विषयों (विधिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए : (I) Legal rights of an accused. अभियुक्त के कानूनी अधिकार. (ii) Mediation: New hope towards inexpensive and speedy dispute resolution. मध्यस्थता: सस्ते एवं त्वरित विवाद निराकरण के लिए नई उम्मीद।	10
3	Summarize the following passage in Hindi or in English (in about 150 words) : निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी अथवा अंग्रेजी में संक्षिप्तिकरण कीजिए (लगभग 150 शब्दों में) : 1. The petitioner in this case is the father of a minor girl Kiran Devi, who was 15 years of age. Kiran was found missing from her house on 27-10-2006 on which date a boy named Jagat Pal was also found missing from his house. The petitioner lodged a missing report with Police Station kotwali Damoh. Pursuant to this the police became active and after search nabbed the boy Jagat Pal and also took Kiran Devi into custody. 2. After recovery Kiran Devi had been sent to Nirmal Chaya. She made a statement that her parents were not accepting her marriage with Jagat Pal. Earlier she had made a statement that she had gone with Jagat Pal of her own accord and willingly married him without any pressure or coercion. In these circumstances, question of validity of marriage and guardianship has arisen for consideration.	10

3. It is clear from the facts of this case that the girl was not kidnapped but eloped with Jagat Pal of her own and got married with him. However, the girl was below 18 years when she got married. It is not in dispute that the age of the boy with whom she got married was above 21 years at the time of marriage.
4. We often come across cases where girl and boy elope and get married in spite of the opposition from the family or parents. Very often these marriages are inter-religion, inter-caste and take place in spite of formidable and fervid opposition due to deep-seated social and cultural prejudices.
5. However, both the boy and girl are in love and defy the society and their parents. In such cases, the courts face a dilemma and a predicament as to what to do. This question is not easy to answer.
6. We feel that no straight jacket formula or answer can be given. It depends upon the facts and circumstances of each case. The decision will largely depend upon the interest of the boy and the girl, their level of understanding and maturity, whether they understand the consequences, etc.
7. The attitude of the families or parents has to be taken note of, either as an affirmative or a negative factor in determining and deciding whether the girl and boy should be permitted to stay together or if the girl should be directed to live with her parents. Probably the last direction may be legally justified, but for sound and good reasons, the Court has option to order otherwise. We may note that in many cases, such girls severely oppose and object to their staying in special homes, where they are not allowed to meet the boy or their parents.
8. The stay in the special homes cannot be unduly prolonged as it virtually amounts to confinement, or detention. The girl, if mature, cannot and should not be denied her freedom and her wishes should not get negated as if she has no voice and her wishes are of no consequence.

9. The Court while deciding, should also keep in mind that such marriages are voidable and the girl has the right to approach the Court under Section 3 of the Prohibition of Child Marriage Act to get the marriage declared void till she attains the age of 20 years.
1. इस प्रकरण में याचिकाकर्ता अवयस्क लड़की किरणदेवी, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, का पिता है। किरणदेवी दिनांक 27.10.06 को उसके घर से गायब पाई गई थी। इसी दिनांक को एक लड़का जगतपाल भी उसके घर से गायब पाया गया था। याचिकाकर्ता ने उसकी पुत्री किरणदेवी की गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, दमोह पर की थी। पुलिस ने खोज करने के बाद लड़के जगतपाल को पकड़ा और किरणदेवी को भी अभिरक्षा में लिया।
2. बरामदगी के बाद किरणदेवी को, निर्मलछाया भेज दिया गया। उसने कथन दिया था कि उसके माता-पिता उसकी शादी जगतपाल के साथ स्वीकार नहीं कर रहे थे। पूर्व में उसने यह कथन दिया था कि वह जगतपाल के साथ अपनी मर्जी से गयी थी और उसने बिना किसी दबाव और प्रभाव के अपनी मर्जी से जगतपाल के साथ शादी की है। इन परिस्थितियों में विवाह की वैधता और संरक्षकता का प्रश्न विचार के लिये उठा है।
3. इस प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि लड़की का व्यपहरण नहीं हुआ था बल्कि वह जगतपाल के साथ स्वयं भाग गयी थी और उसके साथ शादी कर ली थी। यद्यपि, लड़की की उम्र उसकी शादी के समय 18 वर्ष से कम थी। यह विवादित नहीं है कि जिस लड़के के साथ उसने शादी की थी, उसकी उम्र शादी के समय 21 वर्ष से अधिक थी।
4. हम प्रायः ऐसे मामले देखते हैं जहाँ लड़का-लड़की भाग जाते हैं और परिवार या माता-पिता के विरोध के बावजूद विवाह कर लेते हैं। अक्सर ऐसे विवाह अन्तरधर्मीय या अन्तरजातीय होते हैं और प्रबल तथा आवेशपूर्ण विरोध के बावजूद भी होते हैं।
5. यद्यपि, लड़का और लड़की दोनों प्यार में होते हैं और वे समाज और माता-पिता की अवज्ञा करते हैं। ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों के समक्ष दुविधा और विषम परिस्थिति हो जाती है कि क्या किया जावे। इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है।
6. हम महसूस करते हैं कि कोई सीधा सरल सूत्र या उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निर्णय मुख्य रूप से लड़का व लड़की की रुचि, उनकी समझ के स्तर और परिपक्वता कि क्या वे परिणाम आदि समझते हैं, पर निर्भर करेगा।

7. परिवारों या माता-पिता के रवैये को या तो सकारात्मक या नकारात्मक कारक के रूप में अभिनिर्धारित और विनिश्चित करने के लिये विचार में लेना पड़ेगा कि क्या लड़का-लड़की को एक साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिये या लड़की को उसके माता-पिता के साथ रहने का निर्देश देना चाहिये । संभवतया आखरी निर्देश भी विधिक रूप से उचित हो सकता है लेकिन ठोस व अच्छे कारणों से न्यायालयों के पास अन्यथा आदेश करने का विकल्प भी है । हम यह नोट कर सकते हैं कि अनेक प्रकरणों में ऐसी लड़कियाँ विशेष गृहों में उनके रूकने के प्रति विरोध और आपत्ति कर सकती हैं जहाँ उन्हें लड़के या उनके माता-पिता से मिलने की अनुमति नहीं होती है ।
8. विशेष गृहों में लड़कियों को अनावश्यक लम्बे समय तक नहीं रोका जा सकता है क्योंकि ऐसा कराना वास्तव में परिरोध या अवरोध के अंतर्गत आता है । लड़की यदि परिपक्व है तो उसे उसकी आजादी से इंकार नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिये और उसकी इच्छाओं को इंकार नहीं किया जाना चाहिये जैसे कि उसकी कोई आवाज नहीं है और उसकी इच्छाये किसी परिणाम की नहीं है ।
9. न्यायालय को विनिश्चय करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसे विवाह शून्यकरणीय होते हैं और लड़की को धारा 3 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है कि वह 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ऐसे विवाह को शून्य घोषित करवा सके ।

4 Translate the following 15 sentences into English :-
निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

15

- (1) अभियोजन के अनुसार 'ए' टायपिस्ट था और एक अधिकारी के पास कार्यरत था ।
- (2) उस सुसंगत समय पर उक्त अधिकारी नगर में नहीं था तथा 'ए' का उक्त अधिकारी के भवन से संलग्न गैरेज में निवास था ।
- (3) दिनांक 31.12.13 को रात्रि लगभग 10 बजे 'ए' ने अधिकारी के खाली भवन के भीतर प्रकाश की कुछ चमक देखी ।
- (4) वह 'एन' के भवन पर गया, जो अधिकारी के भवन के ठीक पीछे रहता था ।
- (5) 'ए' के अनुरोध पर उक्त 'एन' अपने हाथ में तलवार लेकर भवन के बाहर आया ।
- (6) उन्होंने अधिकारी के भवन से बाहर आते हुए एक व्यक्ति देखा जो मध्यम उंचाई का था, उसके बाल घुंघराले थे तथा स्वयं को एक सफेद शॉल से ढके था ।

- (7) जब 'ए' ने उसे रूकने के लिए पुकारा, कथित व्यक्ति उसे गाली देने लगा और अपने साथ लाई पिस्तौल से उसपर गोली चलाने की धमकी दी।
- (8) उक्त व्यक्ति ने तीन बार गोली चलाई, जिससे 'एन' को पिस्तौल की गोली की क्षति पहुंची।
- (9) तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति अभिकथित रूप से घटनास्थल से भाग गया और क्षतिग्रस्त 'एन' को अस्पताल पहुंचाया गया।
- (10) 'ए' की शिकायत पर अन्वेषण आरंभ हुआ और अभियुक्त 'बी' के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
- (11) वादी को वाद स्थान की पशुओं को बांधने हेतु एवं नौकरों के निवास हेतु आवश्यकता है।
- (12) स्थान का नक्शा वादपत्र के साथ संलग्नित नहीं है, केवल चार सीमाएं वादपत्र में कही गयी हैं, जिससे स्थान का आकार समझना कठिन है।
- (13) वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में कहा है कि उसने वाद स्थान नहीं देखा है और वह वह नहीं जानता कि कितने कमरे वाद स्थान में हैं।
- (14) वादपत्र में यह कहीं भी नहीं कहा कि कुटुम्ब का आकार क्या है, जिसके लिए वादी को 16 पशुओं के दूध की आवश्यकता होती है।
- (15) इस प्रकार वादी का सद्भाविक आवश्यकता के बारे में कथन किया है, साक्ष्य द्वारा अभिपुष्ट नहीं है।

* * * * *